



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012023-241913
CG-DL-E-12012023-241913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]
No. 195]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2023/पौष 22, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2023/PAUSHA 22, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023

का.आ. 208(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार की एक कंपनी, मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, को अधिसूचित करती है:

परंतु मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड इसके द्वारा किए गए पूर्वोक्त कार्यों के संबंध में, इसके द्वारा सृजित डेटा को संबंधित राज्य सरकार को सौंप देगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डर्मल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 208(E).— In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the M/s. FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, a Central Government Company, for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act:

Provided that the M/s. FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited shall make over the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the concerned State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.